

प्रेषक,
श्रीप्रकाश सिंह
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन
सेवा में,
निदेशक
स्थानीय निकाय,
उ०प्र०लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9

दिनांक : दिनांक 27 अगस्त, 2012

विषय: राजस्व टाक-क नीति द्वारा समीक्षा करते हुए प्रदेश के कर एवं करेत्तर राजस्व को पूर्ण क्षति होने का संकेत देना।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश एवं विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय के पत्र संख्या-3209/रा०वि०अ०/रा०वि०पी०/2012, दिनांक 23.07.2012 (आयापति संलग्न) जिसके माध्यम से प्रदेश के कर एवं करेत्तर लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

इस संबंध में सुझाव देने का निर्देश हुआ है कि कृपया संलग्न पत्र में दिए गए निर्देशानुसार कर-करेत्तर राजस्व बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाई को गहनता-पूर्वक करके समस्त मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों को सूचित करें एवं कृत कार्यवाही से शीघ्र तथा राजस्व एवं विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव

संख्या व दिनांक तारीख

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचना के पत्र अथवा कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. सभरस मण्डलायुक्त दिनांक 23.07.12।
2. राजस्व एवं विवेक आयोग/राजस्व निदेशालय को उनके पत्र सं०-3209, रा०वि०अ०/रा०वि०पी०/2012के क्रम में सूचना प्रेषित।

अज्ञा से,
16/8/2012
(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव